

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/

4373

दिनांक - 03/10/23

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 अमरसिंह पुत्र तेजा उर्फ तेजसिंह वगैहरा जाति रावणा राजपूत निवासी बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।


1 कस्तुराराम पुत्र भीखाराम वगैराज जाति नाई निवासी सुर सागर जोधपुर हाल निवासी बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 102/2023

दिनांक- 19/09/23

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बाड़मेर आगोर पटवार क्षेत्र बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 2477/1033 रकबा 2.6385 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2479/1048 रकबा 0.2428 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3202/1033 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1032 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2476/1033 रकबा 2.5333 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2478/1048 रकबा 0.1457 हैक्टेयर भूमिके चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


  
(समदरसिंह भाटी)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 03/10/23

क्रमांक :- रीडर/2023/ 4374-77  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाड़मेर आगोर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. अमरसिंह पुत्र तेजा उर्फ तेजसिंह वगैहरा जाति रावणा राजपूत निवासी बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी कस्तुराराम पुत्र भीखाराम वगैराज जाति नाई निवासी सुर सागर जोधपुर हाल निवासी बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।



  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर